

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED: NEW DELHI
PERSONNEL DIVISION

No. STC/CO/PER/IR/02150/2019

November 28, 2019


CIRCULAR NO.: IR/25/2019

Sub: Initiation of disciplinary action against defaulting officials – reg.

It has been decided that, henceforth for administrative matters, for initiation of disciplinary action against the employees, the concerned Divisional Head/Branch Manager may refer the matter along with their recommendations and detailed note including the evidence in support of noticed administrative lapses to the Head of Personnel Division at C.O. and Branch Managers at Branches in case of its staff employees. However, the matter having vigilance angle will be submitted to CVO for further necessary action.

2. The Personnel Division, thereafter, will examine the matter as per provision of the STC's CDA Rules, 1975 and put up the matter for consideration of the concerned Disciplinary Authority.

This issues with the approval of Competent Authority.


(S.K.Meena) 28/11/19

Jt. General Manager (Pers.)

Copy to:

- STC Website
- Notice Board

Email to:

- ES to CMD
- ES to Directors/ CVO
- CGMs/ GMs
- Divisional Heads at C.O.
- Branch Managers

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली
कार्मिक प्रभाग

सं. एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./02150/2019

28 नवंबर, 2019


परिपत्र सं.: औ.सं./ 25/2019

विषय : दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत के संबंध में।

यह निर्णय लिया गया है कि प्रशासनिक मामलों के लिए, कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए, संबंधित प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक अपनी सिफारिशों के साथ और नोटिस की गयी प्रशासनिक चूकों के समर्थन में साक्ष्य सहित विस्तृत टिप्पणी के साथ इस मामले को मुख्यालय में कार्मिक प्रभाग के प्रभागाध्यक्ष को और स्टाफ कर्मचारियों के मामले में शाखाओं के शाखा प्रबंधक को भेज कर सकते हैं। तथापि, सतर्कता दृष्टिकोण वाले मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. इसके बाद कार्मिक प्रभाग, एसटीसी के सीडीए नियमों, 1975 के प्रावधान के अनुसार मामले की जाँच करेगा और मामले को संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के विचारार्थ रखेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(एस.के. मीणा)

संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

- एसटीसी वेबसाइट
- सूचना-पट्ट

ईमेल द्वारा :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशकगण/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय
- शाखा प्रबंधक